रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-28062024-255006 CG-MH-E-28062024-255006

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2357]

No. 23571

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2024/आषाढ 6, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2024/ASHADHA 6, 1946

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 27 जून, 2024

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 2443 दिनांक 09.05.2023 के संबंध में, नीचे उल्लिखित

अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

का.आ. 2479(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 05 दिसंबर 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 5421 (A) तारीख 05 दिसंबर 2022 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात सोलापुर-उस्मानाबाद वाया तुलजापुर नई रेल्वे लाईन की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा) 4 (के अधीन उस्मानाबाद उपविभागिय अधिकारी दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात "दैनिक एकमत" 30th नवंबर 2022 में तारीख और "दैनिक कुलस्वामिनी संदेश" में तारीख 16th दिसंबर 2022 को प्रकाशित किया गया था।

और, तुलजापुर में कुल 36 आक्षेप प्राप्त हुए थे, और सभी आपेक्षों का निपटारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया हैI

3808 GI/2024 (1)

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषण करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20ड कि उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार मे आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी l

अनुसूची महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले के अंतर्गत 3 गाँवों का विशेष रेल परियोजना सोलापुर - उस्मानाबाद वाया तुलजापुर नई रेल्वे लाईन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण |

अ.नं.	भू संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूमि धारक का नाम	गट न.	भू धारणा प्रणाली	नमुना ७/१२ अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (चौ.मी.)
1	22.07.21	तुजलापुर	तुजलापुर	राजेंद्र उर्फ राजकुमार बाबुराव	104	1	9.57	277.47
		रुरल		देशमाने,				
				अरुण बाबुराव देशमाने				
2	22.07.21	तुजलापुर	तुजलापुर	शंकर धेनु राठोड	40/1	1	2.13	90.00
		रुरल						
						कुल		367.47

[फा. सं.: G197/2024/GOM/SUR-TGP-UMD/20E/June-Corrigendum]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 27th June, 2024

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 2443DATED 09.06.2023, THE PARA MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

S.O. 2479(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 5422 (E) dated the 30th November, 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 5th December, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008(11th of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Solapur – Tuljapur – Osmanabad New Line in the district of Osmanabad in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "Dainik Ekmat dated 30th November 2022" and "Dainik Kulswamini Sandesh" Dated 16th December, 2022" under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas in 3 villages, total 36 objections were received and the same have been disposed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project **Solapur – Tuljapur – Osmanabad New Line** in **3 villages in Tuljapur Taluka** under Competent Authority for Land Acquisition and Sub-Divisional Officer, **Osmanabad** in the State of Maharashtra.

Sr. No.	LAQ Case No.	Village Name	Taluka	Name of Land Holder as per 7/12	Gat No.	Land Tenure System	Total area as per 7/12 (Ha)	Land to be acquired (Sq.M.)
1	22.07.21	Tuljapur	Tuljapur	Rajendra alias Rajkumar Baburao	104	1	9.57	277.47
		Rural		Deshmane,				
				Arun Baburao Deshmane				
2	22.07.21	Tuljapur	Tuljapur	Shankar Dhenu Rathod	40/1	1	2.13	90.00
		Rural						
							Total	367.47

[F. No.: G197/2024/GOM/SUR-TGP-UMD/20E/June-Corrigendum]

AVANISH KUMAR PANDAY, Chief Administrative Officer (Construction)